

पक्षकारान/वकूलाय उपस्थित ।

राज्य सरकार एवं श्रीमान जिला कलेक्टर, पाली के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के अटल सेवा केन्द्र पर राजस्व लोक अदालत का आयोजन रखा गया है, जिसमें राजस्व न्याय के समस्त विचाराधीन व नवीन राजस्व प्रकरणों का लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों के मध्य सौहार्दपूर्ण अथवा मेरिट के आधार पर विधिसम्मत निपटारा किया जायेगा ।

अतः इस पत्रावली से विद्यमान दोनों पक्षों को नोटिस द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र पर आयंदा दिनांक..14/5/2016..को पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

दिनांक-14/5/2016

पक्षकार उपस्थित ।

यह खरबरेक मिशन विशेष

आज राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र में पेश हुआ । सूचना पत्रावली माननीय राजस्व में डल संजमर

कगार ---

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

1/12/2012
12/12/2012

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

न
अ
हुक्म

श्रीकाशीठ हण्डलण्ट

के यह अपील संख्या T.A. मिर्गामी /
2012/7479/पक्षी/2611/2012 में मिर्गामी
हुक्म के अंतर्गत इस प्रकार के अपील पर
न्यायालय के निर्णय व दिशा निर्देश
के अनुसार मिर्गामी कार्यवाही अंमल
में लयी जा रही। तब तब कसबखरक
मिर्गामी व लमान कार्यवाही की आवश्यकता
नहीं रहती है इसलिये कसबखरक
की कार्यवाही के उपर किता जा रही
कसबखरक मिर्गामी फलत व सुवर व
कम खरक दारिगुल दलर है।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

श्रीकाशीठ हण्डलण्ट
(मिर्गामी) सुमेरपुर